

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग
आदेश

पटना, दिनांक— 2016

संख्या—...../सी0, संशोधित वित्तीय नियमावली-2005 के नियम 131 'घ'
में निहित प्रावधानों के तहत प्रत्येक अवसर पर रू0 15,000/—(पन्द्रह हजार रुपये) से
रू0 1,00,000/—(एक लाख रुपये) तक की खरीदारी हेतु विभागीय क्रय समिति का गठन किया
जाता है :-

- | | | |
|-------|--|---------|
| (I) | श्री जितेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना। | अध्यक्ष |
| (II) | श्री देव नारायण मंडल
संयुक्त सचिव
गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना। | सदस्य |
| (III) | श्री रंजन कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव
गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना। | सदस्य |
| (Vi) | श्री विमलेश कुमार झा
उप सचिव
गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना। | सदस्य |

2. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर से संबंधित सामग्रियों के क्रय के समय समिति के सहयोग हेतु तकनीकी सलाहकार के रूप में श्री श्याम मोहन दूबे, आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

ह0/—

(राजभूषण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-स्था0/सा0-01-23/2013-...../ 3146 / पटना, दिनांक- 31-3-2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव के आशुलिपिक, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (श्री मंडल) के आशुलिपिक, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (श्री सिन्हा) के आशुलिपिक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव श्री विमलेश कुमार झा, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-आई0 गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना/दफ्तरी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31-3-16
सरकार के अवर सचिव

31/3